सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 26, शुक्रवार, *शाके* 1941–अक्टूबर 18, 2019
Asvina 26, Friday, Saka 1941–October 18, 2019

भाग 4 (ग)
उप–खण्ड (II)
राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 18, 2019

एस.ओ.119 :–भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 162 (ई) दिनांक 10.03.1993 के निर्देशानुसार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 71 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, जयपुर को निम्न निर्देश जारी करती है :–

निर्देश

यतः राज्य सरकार को समाधान हो गया है कि इस प्रकार की परिस्थितियां विद्यमान है कि जयपुर शहर में चालक सहित आठ सीटर तीन/चार पहिया मंजिली वाहनों की संख्या को संशोधित कर सीमित किये जाने की दृष्टि से तीन/चार पहिया वाहनों की मार्गवार अधिकतम वाहनो की संख्या को सीमित किये जाने की दृष्टि से तीन/चार पहिया पहिया यानों की अधिकतम वाहनों की संख्या निर्धारित की जाए। अतः जयपुर शहर में अनन्य रूप से नगरीय क्षेत्र में संचालित होने वाले चालक सहित आठ सीटर तीन/चार पहिया वाहनों की संख्या को संशोधित कर सीमित करने की दृष्टि से राज्य सरकार, राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, जयपुर को निर्देशित करती है कि वह इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से उपरोक्त प्रकार के वाहनों के निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक अनुज्ञा–पत्र स्वीकृत नहीं करेंगी और यह भी निर्देशित किया जाता है कि अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के लिए अनुज्ञा–पत्रों की अधिकतम संख्या का 16 प्रतिशत व 12 प्रतिशत क्रमशः आरक्षण अनिवार्य होगा।

सारणी

जयपुर शहरी क्षेत्र में चालक सहित आठ सीटर तीन/चार पहिया वाहनों के लिये स्वीकृत मार्ग, पर अधिकतम वाहनों की संख्या/सीमा संशोधित कर निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

क्र.सं.	मार्ग संख्या	मार्ग का नाम	वाहनो की अधिकतम संख्या	
			तिपहिया वाहन	चौपहिया वाहन
1	11	टोंक रोड 200 फुट बाईपास से लालनपुर	60(यथावत)	70

[संख्या एफ 9 (63) परि/आर.टी.ए./07/I/26420]

राज्यपाल के आदेश से

महेन्द्र कुमार खीचीं,

संयुक्त शासन सचिव (मु.)।

Government Central Press, Jaipur.